सराहनीय कार्य

जनपद बस्ती

दिनांक-12.06.2024

थाना छावनी पुलिस, एस0ओ0जी0 टीम बस्ती व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना छावनी क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को 36 घण्टे के अंदर किया गया गिरफ्तार-

थाना छावनी पुलिस, एस0ओ0जी0 टीम बस्ती व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना छावनी क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या जिसके संबंध में थाना छावनी पर मु0अ0सं0 149/2024 धारा 302 पंजीकृत किया गया था का सफल अनावरण करते हुए हत्या से संबधित 1.दयावान शुक्ला पुत्र स्व० सीताराम शुक्ला निवासी ग्राम लोकईपुर थाना छावनी जनपद बस्ती 2. अंगद शुक्ला पुत्र स्व० सीताराम शुक्ला निवासी ग्राम लोकईपुर थाना छावनी जनपद बस्ती को दिनांक 11.06.2024 को बबुरहवा अण्डर पास से 36 घण्टे के अंदर गिरफ्तार कर अभियुक्तों की निशानदेही पर दो अदद लोहे का पाइप (आलाकत्ल) बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.दयावान शुक्ला पुत्र स्व० सीताराम शुक्ला निवासी ग्राम लोकईपुर थाना छावनी जनपद बस्ती।

2. अंगद शुक्ला पुत्र स्व० सीताराम शुक्ला निवासी ग्राम लोकईपुर थाना छावनी जनपद बस्ती।

गिरफ्तारी का स्थान व समय- बबुरहवा अण्डर पास से दिनांक 11.06.2024 को समय करीब 21.30 बजे।

बरामदगी का विवरण-

1.दो अदद लोहे का पाइप (आलाकत्ल)।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10.06.2024 को थाना छावनी पर ग्राम लोकईपुर थाना छावनी जनपद बस्ती में निर्माणाधीन पानी टंकी के पास शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई । इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक छावनी द्वारा मय पुलिस फोर्स के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंचकर देखा गया कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल गाड़ी संख्या (UP51AR3214) पर मृत पाया गया, वहां पर उपस्थित लोगों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृत व्यक्ति का नाम हरीश शुक्ला पुत्र हरिवंश उम्र 24 वर्ष ग्राम बेलाड़े शुक्ला थाना हरैया जनपद बस्ती है । वादी हरिवंश शुक्ला के तहरीर पर थाना छावनी पर मु0अ0सं0 149/2024 धारा 302 IPC पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही थी ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हरीश शुक्ला मेरी बहन पर बुरी नजर रखता था और उसको धमकी देकर जबरदस्ती घर से बाहर बुलाता था। गाँव मे मेरी बहन की बड़ी बदनामी हो रही थी जिससे हम लोगिं ने तंग आकर हरीश शुक्ला को जान से मार डालने का निश्चय कर लिया। दिनांक 09.06.2024 की रात मे लगभग 10 बजे के करीब जब वह अपनी मोटरसाइकिल से कौवाडाड़ की तरफ से कच्ची रास्ता से ग्राम लोकईपुर की तरफ आ रहा था कि हमलोग ग्राम लोकईपुर से बाहर निर्माणाधीन पानी की टंकी से कुछ दूरी पर सरपत के किनारे कच्चे रास्ते के पास छिपे बैठे थे, और जब हरीश शुक्ला पहुंचा तो हम लोग लोहे के पाइप लहराते हुए उसे रोक लिये और लोहे की पाइप से हम दोनो भाई मिलकर लगातार कई वार किये जिससे वह मोटरसाइकिल के साथ कच्चे रास्ते पर गिर पड़ा और हम लोग उस पर तब तक वार करते रहे जब तक वह मर नही गया। जब हम दोनो भाईयों को विश्वास हो गया कि हरीश शुक्ला मर गया तब हमलोग अपने हाथ मे लिये हुए पाइप को ग्राम चौखड़ी के सरहद पर उगे झाड़ी के बीच मे दोनो पाइप छुपा कर रख दिये उसके बाद चुपके से अपने घर पर आकर सो गये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01- प्रभारी निरीक्षक छावनी राजेश कुमार तिवारी जनपद बस्ती |

02- प्रभारी एस0ओ0जी0 उ0नि0 जनार्दन प्रसाद जनपद बस्ती |

03- प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 उमाशंकर त्रिपाठी जनपद बस्ती |

04- प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 शशिकांत जनपद बस्ती।

05- हे0कां0 राघवेंद्र दूबे, हे0कां0 रमायन धर दूबे, कां0 सुनिल चौहान थाना छावनी जनपद बस्ती |

06- हे0का0 रमेश कुमार, हे0का0 अवनीश सिंह, हे0का0 पवन तिवारी, आरक्षी शुभेन्द्र तिवारी, आरक्षी किशन सिंह, आरक्षी अभिलाष प्रताप सिंह स्वाट टीम बस्ती |

07-हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, हे0कां0 इरशाद, हे0कां0 अभय उपाध्याय, कां0 चन्दन भारती, कां0 शिवम यादव एस0ओ0जी0 टीम बस्ती |

08- हे0का0 सत्येंद्र सिंह, सर्विलांस टीम बस्ती |